प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक : 03.05.2026

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियोग मे वाँछित विधि विरूद्ध बालक (बाल अपचारी) को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम , मिशन शक्ति फेज 5 अभियान व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियोग मे वाँछित विधि विरूद्ध बालक (बाल अपचारी) को अभिरक्षा मे लिया ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.04.2026 को वादी मुकदमा की तहरीर बावत विधि विरूद्ध बालक/ बाल अपचारी के द्वारा वादी की पुत्री को घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा साथ मे 85000/रूपये ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 149/26 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कराया था। घटना की सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्यों के आधार पर धारा 137(2)/64(2)(m) BNS व 5(I)/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 03.05.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे नामित विधि विरूद्ध बालक (बाल अपचारी) को अम्बेडकर पार्क के पास से अभिरक्षा मे लिया गया। अभिरक्षा मे लिये गये विधि विरूद्ध बालक (बाल अपचारी) को नियमानुसार थाना स्थानीय के शिशु गृह मे रखा गया तथा उसके साथ किशोर न्याय अधिनियमों के प्राविधानों के अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये विधि विरूद्ध बालक / बाल अपचारी को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड शाहजहाँपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण मे अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

अम्बेडकर पार्क के पास , समय 01.17 बजे

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

मु0अ0स0 149/26 धारा 87/137(2)/64(2)(m) BNS व 5(I)/6 पाक्सो एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

अभिरक्षा मे लेने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 नरगेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 2307 उज्जवल चौधरी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर